

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक.शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1ए/गेस्ट फैंकल्टी/12226/2024-25528-5729091 दिनांक: यथा हस्ताक्षर

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले।

विषय :- माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैंकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने के संबंध में।

प्रसंग :- मुख्य सचिव महोदय का पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं० 24116683) दिनांक 18.08.2028 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग का परिपत्र क्रमांक प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैंकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने है। गेस्ट फैंकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि उक्त पद IFMS में स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है।

साथ ही आपके जिले में पूर्व में इस संबंध में यदि कोई विज्ञप्ति/आदेश जारी किया गया है, तो उक्त विज्ञप्ति/आदेश को इस पत्र के संलग्न प्रेषित प्रारूप के अनुसार तत्काल संशोधित किया जाना सुनिश्चित करावे।

वर्तमान में नगर निकायों के चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। अतः उपरोक्त कार्यवाही केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों हेतु ही की जावे।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(ललित कुमार)
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि निदेशक (वरिष्ठ), समस्त

प्रतिलिपिनिम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर।
5. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, जयपुर।
6. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) कार्यालय हाजा।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
11. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर अनुभाग) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि निदेशक (वरिष्ठ), समस्त
Digitally signed by
LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-08-27
20:03:09 IST

RajKaj Ref No.:
24275528



कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा,

क्रमांक:

दिनांक:

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या सबल योजना के अन्तर्गत मुख्य राशिब महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं० 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6(2) वित्त/सा वित्त नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर "विद्या सबल योजना" के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैंकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद/योग्यताएं/शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगी—

(1) विद्या सबल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताएं—

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता
1.	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोट—

- गेस्ट फैंकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
- विद्या सबल योजना के तहत गेस्ट फैंकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
- सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैंकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
- सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैंकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
- भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैंकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होगी।

(2) रिक्तियां:

विद्या सबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैंकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।

(3) रिक्तियों का प्रकाशन—

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन/अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट <https://education.rajasthan.gov.in> पर किया जाएगा।

(4) आवेदन प्रक्रिया—

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय-सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्तिगत विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

(5) वरीयता का निर्धारण-

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैंकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा।

सेवानिवृत्त कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा। सेवानिवृत्त कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैंकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करना-

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी:-

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3.	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4.	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंसा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

(7) विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय-

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैंकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा-

क्र.सं.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
01	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रु	30000 रु

(8) अन्य शर्तें-

- चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैंकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।
- निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैंकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
- गेस्ट फैंकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।
- उक्त सेवाएं चूंकि गेस्ट फैंकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही हैं अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैंकल्टी के तहत दी गई सेवाएं भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।
- गेस्ट फैंकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा-निर्देशों के अधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित हैं।

vi. गैस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

(9) कार्यक्रम एवं समय सारणी:- (नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोड़कर)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	27.08.2026
2	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12.00 बजे तक)
4	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	08.09.2026 (सायं 04.00 बजे तक)
5	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जाँच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थायी) तैयार कर जारी करना एवं अस्थायी वरीयता सूची में आपत्तियाँ मॉगना।	09.09.2026 से 10.09.2026 तक (दोपहर 02 बजे तक)
6	अभ्यर्थियों आपत्तियों के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थायी वरीयता सूची जारी कर, स्थायी वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध 03-03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना।	11.09.2026 (सायं 06.00 बजे तक)
7	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना	12.09.2026 (दोपहर 12.00 बजे तक)
8	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	14.09.2026 (दोपहर 12.00 बजे तक)
9	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन-सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026 (सायं 5.00 बजे तक)
10	आदेश जारी करना	15.09.2026 (रात्रि 11.59 PM तक)

नोट-कार्यक्रम एवं समय-सारणी Indicative है। संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी इसमें परिवर्तन कर सकते हैं।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा,

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. संबंधित जिला कलेक्टर
5. निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
6. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) राजस्थान, बीकानेर।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
11. विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. समस्त पीईईओ/प्राचार्य.....
13. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा,

आवेदन का प्रारूप

1. आवेदक का नाम—

2. पिता का नाम—

3. आवेदित विद्यालय का नाम—

4. आवेदित पद का नाम—

5. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि—

6. जन्म तिथि—

7. शैक्षणिक योग्यता— 1 माध्यमिक वर्ष— प्रतिशत— संलग्न—1

2 उच्च माध्यमिक वर्ष— प्रतिशत— संलग्न—2

3 स्नातक वर्ष— प्रतिशत— संलग्न—3

4 अधिस्नातक वर्ष— प्रतिशत— संलग्न—4

8. प्रशिक्षण योग्यता 1 बी.एड./समकक्ष वर्ष— प्रतिशत— संलग्न—5

2 डी.एल.एड./समकक्ष वर्ष— प्रतिशत— संलग्न—6

9. वैध पात्रता परीक्षा (आवश्यकतानुसार)– रीट,उत्तीर्णता वर्ष— प्रतिशत— संलग्न—7

10. निवास का पता— 1 स्थाई—

2 वर्तमान—

11. मोबाईल नम्बर—

12. जाति वर्ग— प्रमाण पत्र संलग्न करें (अरक्षित वर्ग होने पर)। संलग्न—8

13. अन्य (विकलांग/भू.पू.सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/स्पोर्ट्स पर्सन) संलग्न—9

14. आधार कार्ड की प्रति। संलग्न—10

15. मूल निवास प्रमाण पत्र। संलग्न—11

16. चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त) संलग्न—12 व 13

17. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि—चूँकि मेरी सेवाएँ गेस्ट फैंकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही हैं, अतः मेरे द्वारा गेस्ट फैंकल्टी के तहत दी गई सेवाएँ भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जायेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची—संलग्नक 1 से 13 (सब प्रमाणित छाया प्रतियाँ) एवं वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहें।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप

शपथ-पथ

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
.....विभाग.....(संस्थान का नाम) में दिनांक.....को
गैस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ/दे रही हूँ।

1. यह है कि मैंने.....विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक.....
.....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित
शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूँ।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम)
विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक.....को
अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं
तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख
एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन
पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास,
जाति, विकलांगता, भू.पू.सं. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं
यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे
गैस्ट फेकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के
empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही
मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं
करूंगा/करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार
अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ/
करती हूँ तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।
8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिमांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।
9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फेकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फेकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होऊंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिमांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता